

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत.

सहायक कलेक्टर (मु0)

मुकाम— सवाई माधोपुर

..... बनाम
 31/2/2019 चन्दा उमर कमी
 किरम मुकदमा चाणदाचरी नं0 24 सन् 2019
 21/1/19

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
21/1/19	पत्रावली पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जो पूर्ण है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रतिवादीगण अप्राधीकरण की तलबी हेतु सम्मन/नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/1/19 को पेश हो।	
28/1/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रय चन्द्र उग्रय उग्रय के वकालत प्रतीक की बखस सुनी गई। बखस सुनने के उपरान्त जज के इस मतीजे पर पहुंचा है कि प्राचीन का प्राबल रेश्योशन स्वीकार किया जाता है। इस प्राबल 9/18 का पुनः नजद लल लिया जायक वर्ण करने के शोडेस दिखे जाते हैं। पत्रावली जैसल युक्त डोमल नजद से इस डोमल बाद तमाल मूल प्राबल 9/18 के साथ रहे।</p>	

सहायक कलेक्टर
 मु0 सवाई माधोपुर